सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 फाल्गुन, 1940 (श०)

संख्या- 215 राँची, गुरुवार, 14 मार्च, 2019 (ई०)

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

संकल्प

12 फ़रवरी, 2019

विषय:- भारत सरकार के पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.III), दिनांक 20.12.2018 द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभुकों की पात्रता हेतु जारी नये संशोधित दिशा-निर्देश को राज्य में लागू करने के संबंध में।

संख्या - खा०प्र०-1/एल०पी०जी०/21-01/2019 - 518, -- सुयोग्य परिवारों को घरेलू गैस (LPG) संयोग उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। भारत सरकार द्वारा सिलिण्डर डिपोजिट, प्रेशर रेगूलेटर एवं हॉस पाईप आदि मद में व्यय वहन किया जाता है। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या-3262, दिनांक 18.08.2016 एवं संकल्प संख्या-2140, दिनांक 19.05.2017 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा गैस स्टोव का मूल्य एवं प्रथम रिफिल के मूल्य का वहन किया जाता है।

2. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु द्वितीय दिशा-निर्देश पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.2), dated 12.03.2018 द्वारा इस योजना के लाभूकों के दायरे को विस्तारित

किया गया जिसे विभागीय संकल्प संख्या-1310, दिनांक 25.04.2018 के द्वारा झारखण्ड राज्य में लागू करने का संकल्प लिया गया।

3. भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु उपरोक्त वर्णित निर्गत दिशा निर्देश संबंधी पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.2), dated 12.03.2018 की कंडिका-5 में लाभुकों के चयन के संबंध में विवरणी निम्न प्रकार से उद्धृत है:-

"The selection of beneficiaries would be from the BPL families identified from the SECC list or BPL family covered under either one of the categories:

i. SC/ST Households
ii. Pradhan Mantri Awas Yojana (Gramin)
iii. Antyodaya Anna Yojana (AAY)
iv. Forest Dwellers
v. Most Backward Classes (MBC)
vi. Tea and Ex-Tea Garden Tribes
vii. People residing in Island & river Islands

The above category of beneficiaries will be identified in consultation with the respective line Ministries and state Governments/UTs and will be considered after excluding those covered by the 14 parameters of exclusion in SECC list"

An Empowered Inter-Ministerial Committee will be constituted in the Ministry to determine parameters to enable poor households of above categories to avail the benefit under PMUY.

4. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु नया संशोधित दिशा-निर्देश संबंधी पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.III), dated 20.12.2018 जारी किया गया है। जिसे झारखण्ड राज्य में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु लागू किया जायेगा जिसका विवरण निम्न प्रकार से उद्धृत है:-

Cabinet Committee of Economic Affairs (CCEA) has approved the proposal of the Ministry to extend the benefit of PMUY to such poor households which are not covered either in the SECC list or in the expanded categories within the provision of Rs. 12,800 crore for providing 8 crore LPG connections to BPL families up to the FY 2019-20

In view of the above decision, clause 5 of the Revised Guidelines conveyed vide Ministry's letter No. P-17018/1/2016-LPG (Vol.2) dated 12.03.2018 stands modified in respect of identification of beneficiaries belonging to poor families in addition to the existing categories, with immediate effect, as under:

(i) Connection will be issued in the name of adult woman of the identified poor family, subject to the condition that no other connection exists in the name of prospective beneficiary or other family members.

(ii) Name of beneficiary should exist in ration card or similar document (issued by State Govt./District Administration for a household) of the identified household.

(iii) Submission of Aadhaar number of all the major family members mentioned in Ration card, for the purpose of de-duplication.

(iv) 14 point declaration from beneficiary in support of BPL nature of the household.

5. उक्त के क्रम में उपरोक्त वर्णित कंडिका-4 में आनेवाले इन परिवारों को राज्य सरकार द्वारा पूर्व की भाँति ही प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अन्तर्गत गैस स्टोव एवं प्रथम रिफिल के मूल्य का वहन किया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस प्रावधान के अंतर्गत प्रथम रिफील गैस का मूल्य - 743.67 रूपये (दिनांक 16.01.2019) एवं गैस स्टाॅव का मूल्य रूपये 990/- झारखण्ड सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही ज्ञातव्य हो कि प्रथम रिफील गैस का मूल्य बाजार दर के अनुसार बढ़/घट सकता है।

6. भारत सरकार के पत्रांक P-17018/1/2016-LPG (Vol.III), दिनांक 20.12.2018 के आलोक में कंडिका-4 एवं कंडिका-5 को दिनांक 20.12.2018 से प्रभावी किया जायेगा।

7. वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना हेतु 224 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। इसके अलावे वर्तमान में अनुपूरक बजट के माध्यम से 45.00 करोड़ का बजटीय आवंटन प्रस्तावित किया गया है।

8. वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत 150.00 करोड़ रूपये का बजटीय उपबंध प्रस्तावित किया गया है।

9. उक्त संलेख पर मंत्रिपरिषद् के दिनांक 05.02.2019 की बैठक के मद संख्या- 16 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अमिताभ कौशल,
सरकार के सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 215 -- 50